राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर।

क्रं — 1219 निविदा सूचना दिनांक - 28/12/18

डीलक्स आगार जयपुर में संचालित वाहनों के रियर एक्सल एयर सस्पेंशन का कार्य करवाने के लिए दिनांक 10.01.2019 को मध्यान्ह 03.00बजे तक निविदायें आमंत्रित की जाती है, जो उसी दिन मध्यान्ह 03.30बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं विस्तृत विवरण निगम की वेबसाईट http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc एवं राज्य उपापन पोर्टल पर देख सकते है। निविदा फॉर्म दिनांक 10.01.2019 को दोपहर 02.00बजे तक किसी भी कार्य दिवस को कार्यालय समय के दौरान 200रूपये नकद जमा कराकर डीलक्स आगार कार्यालय में उपस्थित होकर प्राप्त किये जा सकते है।

(के0एस0मीना)
मुख्य प्रबन्धक, डीलक्स आगार।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, डीलक्स आगार, जयपुर ।

निगम वाहनों का रियर एक्सल एयर सस्पेंशन कार्य कराने हेतु

निविदा आवेदन–पत्र

1	आवेदनकर्ता का नाम / फर्म का नाम	
2	आवेदनकर्ता का स्थाई पता	
3	आवेदनकर्ता का आधार नंबर (प्रति संलग्न करे)	
4	आवेदनकर्ता का दूरभाष / मोबाईल नंबर	
5	आवेदनकर्ता का पत्र व्यवहार का पता ०	
6	आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन फार्म हेतु निगम कोष में जमा करायी गई राशि 200/--रू की रसीद संख्या / दिनांक	
7	रियर एक्सल एयर सस्पेंशन कार्य हेतु प्रति वाहन प्रति माह प्रस्तावित दर	

अनुबन्ध की शर्ते एवं कार्य का विवरण निम्नानुसार है–

क्र.सं.	**किये जाने वाले कार्य का विवरण**
1–	एयर सस्पेंशन की समस्त वाहनों की व्हील्स इंडिया लि0 के मेन्टीनेंस नॉर्मस के अनुसार पिरियोडिकल मेन्टीनेन्स करना
2–	वाहनों की चैकिंग करने पर खराब पाये गये पार्ट्स को दुरूस्त कर सही करना व खराब होने पर नवीन पार्ट्स बदली करना
3–	मार्ग से आने पर यदि एयर सस्पेंशन में कोई खराबी आती है तो उसे ठीक कर उसी दिन मार्ग पर भिजवाने की कार्यवाही करना

1– निविदादाता को निविदा के साथ 10,000--00 रू निगम कोष में बतौर बयाना राशि, नकद जमा करानी होगी तथा निविदा स्वीकार की जाने की स्थिति में कार्य की वार्षिक लागत की 5 प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी आवश्यक होगी, सफल निविदा दाता की बयाना राशि को प्रतिभूति राशि के रूप में समायोजित करते हुये शेष राशि निगम कोष में जमा करवाया जाना आवश्यक होगा।

2– सभी आवश्यक स्पेयर पार्ट्स लुब्रीकेन्टस इत्यादि निगम द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें एवं स्पेयर पार्ट्स समय पर उपलब्ध नहीं कराने पर कार्य में होने वाले विलंब के लिये फर्म उत्तरदायी नहीं होगी। तथा इस कार्य के लिये तकनीशियन (चार कुशल श्रमिक, जो ईएसआई के अधीन शासित हो) अनुबंधकर्ता फर्म द्वारा उपलब्ध कराये जावेगें। तथा अनुबन्धकर्ता के श्रमिको द्वारा किये जा रहे कार्य की देख–रेख हेतु सुपरवाईजर अनुबंधित फर्म को ही उपलब्ध कराना होगा। तथा उक्त के अतिरिक्त कार्य अधिक आने पर अनुबन्धकर्ता को श्रमिको की संख्या में बढ़ोतरी करते हुये कार्य करते हुये वाहन को समय पर मार्ग पर प्रस्थान कराने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की ही रहेगी।

3– सभी आवश्यक स्पेशल औजार / टूल्स अनुबन्धकर्ता फर्म को उपलब्ध कराने होगें।

4– निविदादाता फर्म को उक्त कार्य का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिये।

क्रमशः....2

5– फर्म को उसके द्वारा किये गये कार्य का भुगतान निर्धारित दरों पर प्रतिमाह किया जावेगा, जिसके लिए फर्म द्वारा मासिक आधार पर किये गये मरम्मत/रख–रखाव कार्य का देयक तैयार कर उसे प्रबन्धक (संचालन) से प्रमाणित कराकर मुख्य प्रबन्धक कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। तथा फर्म को वाहनों की नियमित मेन्टीनेन्स व कार्य का विवरण रखना होगा एवं किसी वाहन के एयर सस्पेंशन में आयी खराबी व किये गये कार्य का रिकार्ड रखना होगा। उक्तानुसार तैयार किये गये देयक व किये गये कार्य का प्रमाणिकरण तथा देयक से कितनी राशि की कटौती की जानी है अथवा नहीं की जानी है, की टिप्पणी प्रबन्धक (संचालन) द्वारा की जावेगी। तत्पश्चात देयक कार्यालय में प्राप्त होने पर 10 दिवस की अवधि में पारित किया जा सकेगा।

6– अनुबंधित फर्म द्वारा आवंटित कार्य सही प्रकार से न करने अथवा अनुबंधित फर्म की लापरवाही के कारण निगम वाहन ब्रेकडाउन होने पर उस वाहन के देय भुगतान में से मासिक आनुपातिक आधार पर कार्य का भुगतान नहीं किया जावेगा तथा 500–00रू की पैनल्टी वसूल की जावेगी। तथा ब्रेकडाउन में फर्म की लापरवाही का निर्धारण प्रबन्धक (संचालन) द्वारा किया जावेगा।

7– अत्यन्त विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अनुबन्धकर्ता फर्म द्वारा कार्य से अनुपस्थिति की स्थिति में फर्म से 500/– रू पैनल्टी प्रतिदिन के आधार पर वसूल की जावेगी, साथ ही अनुपस्थित दिवसों का प्रतिदिन के आधार पर आनुपातिक भुगतान फर्म को देय नहीं होगा, यह कटौती बि.सं. 5 के अतिरिक्त होगी।।

8– अनुबंधित फर्म को आगार में उपलब्ध एयर सस्पेंशन सुविधायुक्त समस्त वाहनों के एयर सस्पेंशन को सदैव दुरूस्त स्थिति में रखने की जिम्मेदारी अनुबन्धकर्ता की होगी।

9– निगम द्वारा उक्त अनुबन्ध के तहत दो वाहनों के खड़े रहने हेतु पर्याप्त टीनशेड, औजार रखने हेतु पर्याप्त स्थान, पर्याप्त विद्युत पावर एवं रोशनी की व्यवस्था तथा वैल्डिंग मशीन निगम द्वारा उपलब्ध करायी जावेगी।

10– निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरें डीलक्स/जयपुर/वैशालीनगर आगार कार्यशाला हेतु एक वर्ष के लिए मान्य होगी, तथा अनुबन्ध अवधि आवश्यकतानुसार दोनो पक्षो की सहमति से बढायी जा सकेगी।

11– फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले तकनीकी कर्मचारी सद्व्यवहारी एवं ईमानदार होगें तथा इनके आचरण एवं कार्य हेतु अनुबंधित फर्म पूर्णतः उत्तरदायी रहेगी। यदि फर्म द्वारा उपलब्ध करवाये जाने वाले कर्मचारी द्वारा किसी भी प्रकार की अनियमितता की जाती है तो निगम द्वारा इस संबंध में नोटिस जारी करने पर फर्म को तुरन्त संबंधित कर्मी को हटाना होगा तथा अनुबंधित फर्म के कर्मचारी के किसी कार्य से निगम को आर्थिक हानि उठानी पड़ती है तो उसकी वसूली संबंधित फर्म से की जावेगा तथा निगम को इस संबंध में आवश्यक कानूनी कार्यवाही करने का भी अधिकार होगा, जिस हेतु भी संबंधित फर्म ही उत्तरदायी रहेगी।

12– फर्म के देयक से नियमानुसार उसके कार्यरत श्रमिकों की सीपीएफ/ईएसआई/आयकर व अन्य देय टैक्स की नियमानुसार संबंधित विभाग द्वारा तय दरों पर कटौती की जावेगी। फर्म के भुगतान पर देय जी0एस0टी0 एवं शेष अन्य किसी प्रकार के कर के भुगतान का दायित्व अनुबन्धकर्ता फर्म का ही रहेगा।

13– अनुबन्धकर्ता फर्म के द्वारा अनुबन्ध की शर्तो का उल्लंघन करने तथा मेन्टीनेन्स कार्य संतोषजनक न पाये जाने पर अनुबन्ध समाप्त करते हुये प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

14– उक्त निविदा/अनुबन्ध में किसी प्रकार का विवाद होने पर कार्यकारी निदेशक (यांत्रिक), राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर का निर्णय अंतिम तथा दोनो पक्षो को मान्य होगा।

15– राजस्थान परिवहन निगम को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी समय उक्त निविदा/अनुबन्ध को बिना कोई कारण बताये निरस्त कर सकती है। तथा यदि अनुबन्धकर्ता–द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबन्ध निर्धारित अवधि से पूर्व समाप्त करना चाहता है तो उसे तीन माह का नोटिस देना आवश्यक होगा, अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि जब्त कर ली जावेगी।

16– निविदादाता द्वारा निविदा के संबंध में कोई शर्त स्वीकार्य नहीं होगी।

17– समस्त प्रकार के विवादों का न्यायिक क्षेत्र केवल जयपुर होगा।

मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/है कि आवेदन–पत्र में अंकित शर्ते/प्रावधान हमें स्वीकार है, जिन्हें पूर्णतः पढ़कर एवं समझकर स्वीकारोक्तिस्वरूप हस्ताक्षर किये है।

हस्ताक्षर

(आवेदनकर्ता)